

मैनुअल-04

भाग-2

प्रेषक,

अमित सिंह नेरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

७०९
१३/११/२०१८
निमोग्न

छ(2)-विविध
रुप हुए-फैल/कुप

सेवा में

1. अपर मुख्य सचिव/भारत प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समर्पण किमागाल्यका,
उत्तराखण्ड।

नियोजन अनुमान—२

विषय— शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का नियुक्ति विषयक।

१०.५५३

(डॉ) रमेश कुमार सिंह (टीएसएस)
सचिव, विविध विभाग
उत्तराखण्ड शासन

देहरादून: दिनांक: २५ जुलाई २०१८

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-८५४/XXVI/छ(2)/2009, दिनांक 24.12.2012 के क्रम में उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विभाग परिषद को अपनी संस्थाओं के निर्माण कार्यों को करने हेतु अधिकृत भूमि हुए कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण एवं मानकों के संबंध में दिशा—निर्देश जारी किये गये थे।

२— उक्त क्रम में मुझे यह कहगे कर्म निर्देश हुआ है कि राज्य योजना आधोग, उत्तराखण्ड के पश्चात्य के क्रम में शासन रत्नर पर भाग्यक विवासीपरान्त उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विभाग बोर्ड, निर्माण शाखा को सभी विभागों के धनराशि ₹१०,००,००,०००/- दस करोड़ की लागत तक के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था बनाये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है; संस्था को अन्य विभागों के कार्य कराये जाने पर शासनादेश संख्या-३३०/XXVI/छ(2)/2009, दिनांक 20 सितम्बर, 2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार सेन्ट्रल प्रभार देय होगा।

५८१

१३/११/२०१८
(प्रमुख सचिव अधिकृत विभाग)
विविध विभाग उत्तराखण्ड शासन

संख्या-४४१/XXVI/छ(2)/2017 तदनिर्दिष्ट।

D.S
१३/११/२०१८

महोदय,

(अमित सिंह नेरी)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- ५०(८०%) १. प्रमुख सचिव, माठ मुख्यमंत्री जी को भाठ मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थी।
 २. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थी।
 ३. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विभाग बोर्ड, निर्माण शाखा, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर।
 ४. निदेशक, राज्य योजना आधोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 ५. निदेशक, एनआईसी०, उत्तराखण्ड सवितालय, देहरादून।
 ६. प्रभारी भीडिया सेन्ट्रल सचिवालय, देहरादून।
 ७. वित्त अनुभाग-१, उत्तराखण्ड शासन।
 ८. गार्ड फाइल।

आङ्गो से,

(डॉ) रमेश कुमार सिंह
अपर सचिव।

प्रेषक,

प्रदीप जोशी
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक

३५. पियानम् → अपरभिक्ष शिक्षा, उत्तराखण्ड,
पुराणो विकल्पी कालाद्यु।
नेमुखेडा, देहरादून।

बेसिक (नवसुजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक २२ दिसम्बर २०१७

विषय: राजकीय प्राथमिक विद्यालय, डिमर, देहरादून के मवन का पुर्णनिर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अंपने पत्र संख्या नियोजन(04) / 14865-66 / मा० मु०म०
घो० 1 - (01) / 2017-18 दिनांक 05 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण
करने का काष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माझे सुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद देहरादून में की गयी घोषणा संख्या -100/2017 “राजकीय प्राथमिक विद्यालय डिम्मर के जर्जर भवन का पुनर्निर्माण किया जाएगा” के क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या -610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा टी०६०८ी० करने के उपरान्त अनुमोदित धनराशि ₹ 20.70 लाख के राष्ट्रेक्ष 40 प्रतिशत के आधार पर ₹8.28 लाख (रुपये आठ लाख अठाईस हजार मात्र)की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन लघु किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) कार्य प्रारम्भ करने के यूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर निर्धारित मानकों के अनुसार सक्षम स्तर के अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2) कार्य पर मदवार स्वीकृत आगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आगणन धनराशि स्वीकृति की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

- (3) कार्य करने से पूर्व समस्त नियमानुसार औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यान्जर रखते हुए एवं दिभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (4) उक्त निर्माण कार्य नियमानुसार निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाये तथा नियमानुसार विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप नियमानुसार परीक्षणों उपरान्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- (5) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी प्रकार की वित्तीय अनियमिता स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होंगी।
- (6) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कानून करें तथा शिक्षा विभाग उक्त निर्धारित मानकों का भी पालन किया जाय।
- (7) सक्षम स्तर से स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य प्रारम्भ करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2017 का सुसंगत प्राविधानों का नियमानुसार अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।
- (8) विभागाध्यक्ष / सक्षम स्तर कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित अनुबन्धित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराकर भवन दिभाग को हस्तागत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-12-2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एमओओयू अवश्य हस्ताक्षरित किया जाय। वर्णित कार्द हेतु स्वीकृत की जा रही लागत से अधिक धनराशि किसी भी दशा में अनुभन्य नहीं होगी।
03. उक्त से सम्बन्धित व्यट चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखरीष्टक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा रांसकृति पर युंजीगत परिव्यय, 01-सामान्य शिक्षा, 201-प्रारम्भिक शिक्षा, 03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, 24-वृहद् निर्माण कार्य के अन्तर्गत वृहत् निर्गण के नामे डाला जायेगा।
- 04— यह आदेश वित्त विभाग के अशासंकीय सं0— 107(स०)/XXVII(3)/2017-18 दिनांक 30-11-2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

 (प्रदीप जोशी)
 संयुक्त सचिव

सं० (१) /xxiv(१) /घोषणा संख्या ८६ /पत्रांस०७९ /२०१५ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

०१. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवरराय बिल्डिंग, देहरादून।
०२. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-१/१०५ इन्द्रानगर, देहरादून।
०३. अपर सचिव, मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-४, उत्तराखण्ड शासन।
०४. जिलाधिकारी, देहरादून।
०५. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
०६. मुख्य शिक्षा अधिकारी /जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
०७. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
०८. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-३ /नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
०९. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
१०. वित्त अनुभाग-३
११. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(दिनेश चन्द्र जोशी)
उप सचिव

प्रेषक,

प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज
उत्तराखण्ड शासन।

सचिव

विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा गं.

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

(निर्माण)

दानवरी

महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग: देहरादून: दिनांक: नवम्बर ०१, २०१८

महोदय,

ग्रामीण विकास बन्द्रालय, भारत सरकार के अपेक्षानुरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार भारती योजना का विभिन्न रेखीय विभागों के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से आधिकाधिक स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है।

उक्त परिपेक्ष्य में मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29 नवम्बर 2017 को महात्मा गांधी नरेगा केन्द्राभिसरण की समीक्षा बैठक आहूत की गई थी जिसमें महोदय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा विभाग विभाग के और अधिक प्रभावी एवं व्यापक स्तर पर किये जाने तथा मुण्डवलापूर्ण केन्द्राभिसरण के उद्देश्य से रेखीय विभागों के साथ संयुक्त शासन। देश जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार भारती योजनान्तर्गत विद्यालयों में खेल के मैदान, चाहरदीवारी, शौचालय निर्माण एवं पेयजल टैंक निर्माण को शिक्षा विभाग के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से किया जा सकता है। इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पेयजल विहीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची प्रेषित की गई है (सलग्न)। अतः विद्यालयी परिसर में उड़िखित परिस्थितियों का निर्माण निम्न दिशा-निर्देशनुसार किया जाय-

- विद्यालयों में खेल का मैदान, चाहरदीवारी, शौचालय निर्माण एवं पेयजल टैंक निर्माण को वित्तीय वर्ष 2018-19 के हेतु बजट में समिलित किया जाय
- सम्बन्धित प्राग पंचायत अथवा जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम राजन्यकृत, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा नामित विभाग कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करें।
- चयनित विद्यालय में होने वाला प्रत्येक निर्माण एक स्वतंत्र कार्य के रूप में होना जिसका पृथक वर्क कोड जारी किया जायेगा तथा इसी के अनुसार खण्ड विकास आधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा कार्यदायी संस्था के अनुरोध पर लागू जारी किये जायेंगे।
- विद्यालय में महात्मा गांधी नरेगा केन्द्राभिसरण अन्तर्गत होने वाले निर्माण हेतु शमाश का बहन महात्मा गांधी नरेगा से एवं सामग्री अंश का बहन यथासम्बव शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।
- महात्मा गांधी नरेगा द्वारा बहन की जाने वाली धनराशि EMSS/PFMS/AFMS के माध्यम से तथा शिक्षा विभाग द्वारा उहर की जाने वाली धनराशि मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी के भाष्यम से सौंध लार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
- विद्यालय में होने वाले निर्माण में महात्मा गांधी नरेगा अंश से होने वाला व्यय महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों तथा शिक्षा विभाग द्वारा होने वाला व्यय विभाग द्वारा समय-समय

- पर जारी किये गये दिशा—निर्देशानुसार / प्रावधानों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- विद्यालयी परिसर में होने वाले निर्माण की प्रगति का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के जिला कार्यक्रम समन्वयक / अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा। साथ ही इसकी मासिक प्रगति से सक्षम प्राधिकारियों द्वारा शासन को अवगत कराया जायेगा।
- विद्यालयी परिसर में निर्मित किये जाने वाले कार्यों का महात्मा गांधी नरेगा एवं विभागीय योजना के दिशा—निर्देशानुसार सामाजिक सम्प्रेक्षण (Social Audit) किया जायेगा।
- शिक्षा विभाग के यथाआवश्यकता कार्यदाती संस्था (PIA) बनने की स्थिति में जिला कार्यक्रम समन्वयक सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी को महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी (स्थीय विभाग) भी नामित कर सकते हैं जिनके द्वारा महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अतः उपरोक्त उल्लिखित दिशा—निर्देशों के आधार पर संलग्न सूची के दृष्टिगत टैक निर्माण सम्बन्धी कार्यों को विसीय वर्ष 2018–19 की जनपद की कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए प्रथम त्रैनास में ही प्रारम्भ करवाते हुए यथासमय पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीया

(भूपेन्द्र कौर औलख)

सचिव

विद्यालयी शिक्षा

(मनीषा पंवार)

प्रमुख सचिव

ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज

संख्या : ४५० /८-२/३/पी/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/२०१७-१८ तदिनांकित :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
- मण्डलायुक्त, गढ़वाल, पौड़ी एवं कुमाऊँ, नैनीटाल, उत्तराखण्ड।
- अपर सचिव / निदेशक, पश्चायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- अपर सचिव / निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
- आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
- समस्त मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।

(मनीषा पंवार)

प्रमुख सचिव

२१७
२०१२-०४

सं० ५३८ / खण्ड(१) / घोषणा संख्या ८६ / पत्रांस०७९ / २०१५

प्रेषक,

डॉ भूपिन्दर कौर औलख,
राचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

श्री कृष्ण / निषेधन
कृष्ण अमरतुरंग कामिनी

सेवा में

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बैसिक (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक जनवरी, 2018

विषय: घोषणा संख्या -८६/२०१७ के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त निषेधन अपने चत्र संख्या निषेधन(०४) / १३६४४ / ११० भ०८० १ - (३१) / २०१७-१८ दिनांक २२ अगस्त, २०१७ का कृपया संदर्भ ग्रहण करने वा काट करे।

२- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माझे गुरुवारांत्री जी द्वारा जनपद अल्मोड़ा में की गयी घोषणा संख्या -८६/२०१७ 'प्राथमिक स्कूल ललाड में भवन का निर्गम किया जायेगा', के क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या -८१०/३(१५०)००८१(१) / २०१७ दिनांक ३० जून, २०१७ में निहित प्राधिकारियों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पैदल निर्माण निगम अल्मोड़ा द्वारा टी०५०८५० कराने के उपरान्त अनुभौदित धनराशि ₹ ५६.४० लाख के सापेक्ष ४० प्रतिशत के आधार पर ₹२२.४० लाख (रुपये बाईंरा लाख चालीश इंटार ग्राम) की धनराशि अपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं ब्रत्तिकांडों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल राहर्ष रहीकृति प्रदान करते हैं:-

- (१) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विरतुत आगणन / ग्रामीण पर निर्धारित गान्हको के अनुसार सक्षम रत्नर के अधिकारी रो प्राविधिक रवैकृति प्राप्त करनी अवश्यक होगी।
- (२) कार्य एवं भद्रवार स्वीकृत आगणन के अनुसार उताना ही व्यय किया जाय जितनी विरतुत आगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कराये न किया जाय।
- (३) कार्य करने से दूर स्नान नियमानुसार और ऐच ऐक्टयें तकनीकी दृष्टि से न्यायालय स्वरूप हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विनियोगों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (४) उक्त निर्माण कार्य में नियमानुसार निर्माण सान्त्री को उपयोग ने लाने से पूर्व सान्त्री का परिक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाये तथा नियमानुसार विशिष्टियों/नानको के अनुकूल सान्त्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- (५) विस्तृत आगणन में प्राविधिक निर्माण एवं सामाजिक हेतु सन्दर्भित विभागों/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी प्रकार की वित्तीय आन्तरिक स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।
- (६) गुरुव्य रात्रिवार, उत्तराखण्ड शासन के शारानदेश रास्ता-२०७/XIV-२१९(२००६) दिनांक ३०.०५.२००६ द्वारा निर्माण आदेशों का लडाई से पालन करने का कार्य करें तथा शिक्षा विभाग द्वारा निर्द्दित भागों का भी पालन किया जाय।

—
—
—

- (7) स्वीकृत आगरन के अनुसार कार्य प्रारम्भ करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2017 का नियमानुसार अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।
- (8) विभागाध्यक्ष / सक्षम स्तर पर कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित अनुबन्धित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। दिलच्छ या अन्य किसी भी दशा में आगरन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-12-2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम्झोटू अवश्य हस्ताक्षरित किया जाय। वर्णित कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही लागत से अधिक धनराशि किसी भी दशा में अनुमत्य नहीं होगी।
03. उक्त से सम्बंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिवय, 01-सामाज्य शिक्षा, 201-प्रारम्भिक शिक्षा, 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का चेकारा एवं सुदृढ़ीकरण, 24-वृहद् निर्माण कार्य के अन्तर्गत वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।
- 04- यह अदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0- 85 (मो)/XXVII(3)/2017-18 दिनांक 16-10-2017 में प्राप्त उनकी सहनति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया

(डॉ भूपिन्द्र कौर औलख)
सचिव

सं0 (1) / xxiv(1) / घोषणा संख्या 86 / पत्रांस079 / 2015 तदिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखिता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवरसाय बिल्डिंग, देहरादून।
 02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-१ / 105 इन्द्रानगर, देहरादून।
 03. अफर सचिव, मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
 04. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
 05. गुरुद्वाराधिकारी, अल्मोड़ा।
 06. मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
 07. बजट राज्यकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
 08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-३ / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञन केन्द्र, सचिवलय परिसर देहरादून।
 10. वित्त अनुभाग-३
 11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।

प्रेषक,

डॉ० भूपेन्द्र कौर औलख,
सचिव,
उत्तरारबण्ड

सेवा में:

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरारबण्ड,
नगूरखेड़ा, देरूपांडु।।।

वैसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक: २३ जून २०१८

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य में संचालित आदर्श प्राथमिक विद्यालयों एवं आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु ₹ 5.00 करोड़ अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्ता विषयक आपके द्वारा संखा-०४ नियोजन/13489-90/आप०/2017-18 दिनांक 22 लागतस्त्र, 2017, ०४/स्ट्र(१)/2016-15/2015 गोसु० दिनांक 15. १. 2016 के अनुकान गें गुज्जे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के आदर्श प्रारम्भिक विद्यालयों एवं आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापन हेतु अनुदान सौ-११, के अन्तर्गत 2202-01-10-०४-०८-४२ उच्च व्याय विभास खण्ड रत्न गॉड्डल रमेश के रांचालनार्थ प्राप्तिवादीत इति धनराशि रो वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30 जून 2017 के प्रस्तार १२ में उल्लिखित प्राप्तिवादीत धनराशि इन्होंने ₹ 500,00 लाख (लग्ने पैंच करोड़ मात्र) की धनराशि जलम्भ विवरणानुसार व्यव हेतु आपके नियर्तन पर रखते हुए मिन शर्तों एवं प्रतिवन्दियों के अधीन रख्वे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- (१) वित्त विभाग के शासनादेश सूची ६१०/३(१५०)XXVII(1)/2017 दिनांक 30. ६. 2017 में वर्णित शर्तों जा अनुग्रहन कर रखी जा रही धनराशि के वृद्धिगत लाय सुनिश्चित किए जायेगा।
- (२) उपरोक्त कार्यक्रमान्वयन में व्यय करने रो गूर्व यथास्थिति अधिकारी नियमनाली २०१७ के सुनिश्चित प्राक्रियान्वयन सहित सुनिश्चित दिनों नियमी तथा प्रक्रियान्वयन के अनुपालन सुनिश्चित विकास जायेगा।
- (३) यह यह गुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी एजेंसी द्वारा पर व्यव न किया जाय जिसके लिए दिनांक हस्त पुस्तिका लक्ष्य बजाए भेजाया के नेशनों के अन्तर्गत अन्य राज्य अधिकारी की पूर्व समीकृति की आवश्यकता हो।
- (४) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और इस प्रकार नालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए लदायि न छोड़ी जाए।
- (५) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के दिवरण निर्धारित तिथि तक शासन ला अवश्य लफलक लगा दिये जाए। इसी प्रकार व्यय के तंत्रमें व्यवाचिक्य एवं बचतों को दिवरण शासन जी निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाएं।
- (६) शासनादेशों के अनुसार कार्य योजना रथानित कर मिनव्यायता अनुपलिङ्ग किया जायेगा।
- (७) नामांगीय न्यायालय में दायर याचिका लखाए ए०आई०१३० २०१/२०१० श्री दीनक रामा बन संस्कृतविद्यालय में दिये गये तिर्यक ला अनुपलिङ्ग सुनिश्चित किया जाय।

02— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय-व्ययक के अनुदान सख्त्या-11 लेखाशीर्षक 2202-01-प्रारम्भिक शिक्षा 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 08- विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल, 42-अन्य, राजस्व मद में विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धस0 125(म0) / XXVII / 2017 / (3) / 2017 दिनांक 3-1-2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में प्रशासकीय विभाग के स्तर से ही जारी किये जा

भवदीय,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

सं0 /XXIV(1) /2015-टी०सी०15 / 2015 / दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-1 / 105 इन्ड्रानगर, देहरादून।
03. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
04. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, ननूरखेड़ा देहरादून।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

व्यय विवरण

धनराशि लाख ₹० में

01	डायनिंग ट्रैबल	₹16.71
02	विद्युत संयोजन	₹25.00
03	पेयजल संयोजन	₹19.50
04	पुस्तकालय	₹28.5
05	अग्निशमन यंत्र	₹28.5
06	फॉम्प्टर	₹154.35
07	भवन अनुश्रवण	₹128.69
08	प्रबन्धन	₹57.00
09	वाटर प्लूरीफायर	₹19.04
10	गत वर्षों के देयकों का अदर्शण	₹.65
11	स्लम हीटर	₹17.92
12	पंखे योग	₹4.14 ₹500.00



(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा, दैडरादून।

सेवा गं

वित्त अधिकारी, प्राप्ति।

नैनीताल,

प्रक्रक-नियोजन(04)/ ३१.७५८२ / मौडल स्कूल बजट/ 2017-18 दिनांक २३ मार्च, 2018

विषय— प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा आवंटित धनराशि से सामग्री आदि क्रय किए जाने विषयक।

नहोदय,

उत्तराखण्ड विषयक शासनादेश संचया— ६७६/XXIV(1)/2017-15/2015 T.C. दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 ने प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन राज्य के राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालनाथे ₹० ५००.०० लाख (५०० जैय चारों शृंखला) की स्थीकृत प्रदान की थी है। जिसके राष्ट्रे इस कालालय के पत्र संख्या—नियोजन ०४/ २४५७३-८०/ आदर्श दिन १५ बजट/ 2017-18 दिनांक १२ फरवरी, 2018 के प्रारंभिक दृष्टि ने धनराशि आवंटित ली गयी है। जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्ति एवं उप शिक्षा अधिकारियों से प्रारंभ असिरिकता पूर्ण तथा मौडल विद्यालयों की आवश्यकताओं के अनुलय निच दर्शे में अवशेष धनराशि दी जा रही है। शासनादेश ने उल्लिखित शार्तों एवं प्रतिवर्षों के अधीन निम्न विवरणानुसार राज्यित जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्ति उत्तराखण्ड के विवरन में रखने की स्थीकृत प्रदान की जाती है। इस धनराशि का व्यय निदेशालय के पत्र संख्या—नियोजन(04)/ २३३६६-७ / मौडल स्कूल/ 2017-18 दिनांक १७ फरवरी, 2018 में दिए गए निदेशों के अनुरूप ही किया जाए।

						(धनराशि रु० लाख में)
क्र. स.	जनपद	प्रेषजल संघोजन	विद्युत संघोजन (विद्युत विल पुस्तकालय)	बॉटर शुरिफायर	पंखे	कुल धनराशि
०	१	२	३	४	५	६
१	नैनीताल	०.१५०००	०.१७०००	०.१००००	०.२६६००	०.६८५००
	योग	०.१५०००	०.१७०००	०.१००००	०.२६६००	०.६८६००

स्थीकृत धनराशि संज्ञान विवरणानुसार तत्काल उप शिक्षा अधिकारियों के अधीन इस जाएगी ०६ एवं ०७ वीं सुनिश्चित क्रम लिया जायगा कि समन्वेत उप शिक्षा अधिकारी के अवश्यकता के लिये धनराशि जो व्यथाशीधि व्यय के रूपमें अभाव पत्र इस कालालय को उपलब्ध कराया जाय। स्थीकृत की प्रत्याशा ने लोई भी असिरिका लाय नहीं किया जाएगा और किसी तरह से बचते रहती राज्य प्रियों को ३१ मार्च, 2018 तक ऑफलाइन (Online) राज्यपान करते हुए निदेशालय को अवगत कराना चुनिवित करें।

- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार धनराशि पृथक अलॉटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किए जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आप को ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आप को प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाए और तत्काल निदेशालय को वापस किया जायेगा।
- वित्तीय वर्ष सम्पादित की ओर है ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य राज0एम0सी0 के माध्यम से कराये जायेंगे। व्यय उत्तराखण्ड अध्यापिति नियमावली 2017 का पालन सुनिश्चित किया जाय।
- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 08-विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल, 42 अन्य व्यय मद में विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्न— 1— आवंटन आई0डी0।

2— शासनादेश की प्रति।

3— विकासखण्डवार/विद्यालयवार विवरण।

भवदीय


(अमिता जोशी)

दित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0स0/नियोजन04/ / / आदर्श वि0 बजट/2017-18 तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेल नगर देहरादून।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी नैनीताल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 नैनीताल।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0।


(अमिता जोशी)

दित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

2268
21/02/2018

सू. 796 /xxi v /2017-35 /2016

प्रेषक,

डॉ भूपिन्द्र कौर औलख
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

D.P.I. नियोजन
कार्यालयी

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 02 जनवरी, 2018

विषय: राठप्राठवि० मानडगॉव के पुनर्निर्माण की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आठवें बार्षिकी

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-बेसिक-नियोजन (4-2)/20738/बजट (139) / 2017-18 दिनांक 18 नवम्बर 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में बृहत निर्माण कार्य हेतु अनुदान सं0-11, पूजीगत के अन्तर्गत प्राविधानित ₹40000 हजार (रुपये चार करोड़ मात्र) धनराशि में से अवशेष ₹369.34 लाख के सापेक्ष राठप्राठवि० मानडगॉव उत्तराखण्डी के भवन पुनर्निर्माण हेतु द्वितीय किरत के रूप में ₹ 3,08,640.00 (रुपये तीन लाख आठ हजार छाँकालीस मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किए जाय।
 - (2) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखने हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
 - (3) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
 - (4) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
 - (5) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति कम आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।
 - (6) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
03. उक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 पूजीगत के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय, 01-सामान्य शिक्षा, 201-प्रारम्भिक शिक्षा, 03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत युहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।
- 04- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0 610/XXVII(1)/2016 दिनांक 30 जून, 2017 में वर्णित प्राविधान के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डॉ भूपिन्द्र कौर औलख)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रबं आवश्यक लार्याही हेतु प्रेषितः—

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-१ / 105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
05. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-३ / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
09. वित्त अनुभाग-५
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

२२७३
१२ अक्टूबर २०१४

सू. २३२ / xxiv / 2017-18 / 2014 दीप्ति ०

प्रेषक,

डॉ मृगन्दर कौर औलख

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में:

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,

नन्होड़ा, देहरादून

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक: २० फरवरी, 2018

लिखेजन विषय: स०प्रा०पि० बाटुला के पुनर्निर्माण को अदरेष्ट धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

११ अक्टूबर २०१४ स्वीकृत

लपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक लेसिक-नियोजन (८४)/१३४८/बजट (म०म०घो) / २०१७-१८ दिनांक २२ अगस्त २०१७ के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में प्रारम्भिक शिक्षा के अय-व्ययक में नृष्टा निर्माण कार्य हेतु अनुदान रॉ०-११, पूजीपुरा के अन्तर्गत प्राविधिक रूप से चार करोड़ लाख वनराशि में से वि० वि० शासनादेश ६१०/३(१५०)/xxvii(१)/२०१७ दिनांक ३० जून, २०१७ द्वारा शालू दितीय वर्ष २०१७-१८ के अय-व्यय की वित्तीय स्वीकृतियों निर्मत किये जाने संबंधी दिशा निर्देशों के प्रस्तर ७ में उल्लिखित प्राविधिक अनुमानित लागत के व्यूनाम ४० प्रतेशत प्रथम किस्त में, ४० प्रतेशत छेत्रीय किस्त में एवं शेष तृतीय केशदार के रूप में प्रदान की जायेगी तदक्रम में अनुमानित आगामी इकाई रु १८.९२ के सापेक्ष छेत्रीय किस्त रु ८.३१ लाख के रामेष्ट (रुपये भात लाख इकाई रुजार मात्र) की धनराशि अपके निर्वतन पर रखते हुए निम्न इर्हों एवं प्रतिवर्धनों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (१) कार्य ५८ नदवार उठना ही व्यय किये जाये जिहनी नदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है।
- (२) कार्य उठने से पूर्व सनस्त औपचारिकतये तकनीकी दृष्टि को नियन्त्रक रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रवलित दरै/लिशिस्टिओं द्वा ध्यान में रखने हुए निर्माण कार्य को रम्यादित करना सुनिहित करें।
- (३) निर्माण सामग्री को उदयोग में लाने से दूर सामग्री का प्रवेशण त्रयोगशाला से अवश्य कभी लिये जाये तथा विशिस्टियों के अनुरूप रागदारी ही प्रयोग में लायी जाये।
- (४) विरहूत आगामी में प्राविधिक नियन्त्रक एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदारी सम्मा गृह रूप से उत्तरदायी होगी।
- (५) स्वीकृत विस्तृत आगामी के प्राविधिक स्वीकृति अभ आगणन के प्राविधिकों में परिपतन (फेवल अपरेहार्य स्थिकाले की दशा में ही) करने से पूर्व राजम अधिकारी की रात्रि अधिकारी लग से प्राप्त कर ली जायें।
- (६) मुख्य राजिक, उत्तराखण्ड इरन जे शासन-देश संविधा-२०४७/XIV-२१९(२००६) दिनांक ३०.०५.२००६ द्वारा निर्गत आदेशों के अडाई से पहलन करने का कार्य करें।
०३. उक्त रो रागदायित जर नालू दितीय वर्ष २०१७-१८ के अन्तर्गत अनुदान रॉ०-११ पूजीगत के अन्तर्गत लेखाशीर्क-४२०२ रोक्ष खेल-कूद तथा संस्कृति पर पूजीगत नरिव्यय, ०१ सामान्य शिक्षा, ०१-प्रारम्भिक शिक्षा, ०३-प्रारम्भिक विद्या लग्नों का विवास ५वं सुदृढ़करण, २४-दृष्टि निर्माण कार्य के अन्तर्गत वृहत निर्माण के नामे डला जायेगा;

04— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0 610/ XXVII(I)/2016 दिनांक 30 जून, 2017 में वर्णित प्राधिकार के अनुसार जारी किया जा रहा है।

मवदीया,

(डॉ भूपेन्द्र कौर औलख)
सचिव

सं0 (I)/xxiv /2016-35/2016 तददिनोंका।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, भहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-१/१०५ इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
05. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—३/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
09. वित्त अनुभाग—६
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

डॉ भूपिन्दर कौर औलख

सचिव

उत्तराखण्ड श.सन।

सेवा में

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननुखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुमाय

देहरादून: दिनांक:

१५-क्रमांक, 2018

विषय: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेड, विकास खण्ड मिलंगना टिहरी गढ़वाल के भवन के पुनर्निर्माण की अवशेष घनसाशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उत्तर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-बेसिक-ग्रीष्मेवान् (4-2)/26435/वजट (139-2)/2017-18 दिनांक 13 जनवरी, 2017 के अनुच्छेद में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में बहुत निर्माण कर्ता डेतु अनुदन रो०-११, गूजीगढ़ के अन्तर्गत ग्राम्यान्वित ₹40000 हजार (लपये बार करोड़ नां) धनराशि ने से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेड, विकास खण्ड मिलंगना टिहरी गढ़वाल के भवन के पुनर्निर्माण हेतु अनुमोदित धनराशि ₹ 26.26 लाख की द्वितीय किस्त के रूप में ₹10.50 लाख (लपये इस लाख नवास इजार मात्र) की धनराशि आपके विवरों पर स्पष्ट हुए निम्न शाओं एवं प्रतेवर्षों के अधीन लग्य किये जाने की श्री राजपत्र राहर्म स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1)कार्य पर गवाहाजना ही व्यव किया जाये जितनी नवाहर धनराशि रखीकूरा की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यव करापि न किए जाय।

(2)कार्य करने से यूद्ध-समर्त औपचारिकतावें तकनीकी दृष्टि औ न्यूनतात् रखते हुए एवं विभाग छात्र प्रशिक्षित दरों/विशिष्टियों के ध्यान में रखने हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(3)निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से यूव सामग्री का प्रशिक्षण प्रयोगशाला से अदृश्य छोड़ जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(4)परिवृत आगगन व नविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु अनुकूल कार्यदायी संस्था द्वारा रूप से उत्तरादायी होंगे।

(5)रवीकृत विस्तृत आगगन के नियमों एवं तर्जों की रखीकृति कन अगगन के नियमों ने अनिवार्य (केवल अपरिहाय स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।

(6)मुख्य संविधि, उत्तराखण्ड शासन के शारन्नदेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्धारित आयोशों का काइइ से पालन करने का कर्त्ता करें।

03. लक्ष से सम्बन्धित व्यव यालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान रो०-११ गूजीगढ़ के अन्तर्गत लोडाशीर्वक ४२०२ रेक्टा खेलकूद तथा संरक्षित पर पूजीगढ़ परिवाय, ०१-लाम्बन्द शिक्षा, २०१-प्रारम्भिक शिक्षा, ०३-प्रारम्भिक विद्यालयों का देक स एवं सुदृढ़करण, २४-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत दृहत निर्माण के नामे डाला जाएगा।

04- यह आदेश वित्त विभाग के शासनदेवा सू. ६१०/XXVI(1)/2016 दिनांक 30 जून, 2017 में वर्णित प्राविकान के अनुसार जारी किया जा रहा है।

मवदीया,

(डॉ भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
01. नहालेखाकार, लेखा एवं दृकदारी, सहारनपुर रोड, ओवरराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-१/१०५ इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
05. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (ब्याय नियंत्रण) अनुभाग-३/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, संविवालय परिसर देहरादून।
09. वित्त अनुभाग-५
10. गड़े फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

~~2603
26/3/2018~~

सं २१४ /xxiv(1) /2018/15xxiv(1) /2017

प्रेषक,

डॉ भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक (नवसृजित) अनुभाग

विषय: रा०प्रा०वि० सिदरी तथा रा०प्रा०वि० फफराला (सिदरी) उत्तरकाशी में चाहरदीवारी हेतु
धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

देहरादून: दिनांक १८ मार्च, 2018

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या नियोजन(04) / 16295 / बजट(139) / 2017-18 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रा०प्रा०वि० सिदरी तथा रा०प्रा०वि० फफराला (सिदरी) में चाहरदीवारी के निर्माण हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या –610 / 3 (150) xxvii (1) / 2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा टी०ए०सी० कराने के उपरान्त अनुमोदित ₹ 22.96 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत के आधार पर ₹९.१८४ लाख (रुपये नौ लाख एक सौ चौरासी मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबधों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर निर्धारित मानकों के अनुसार सक्षम स्तर के अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (2) कार्य पर मदवार स्वीकृत आगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदायि न किया जाय।
- (3) कार्य करने से पूर्व समस्त नियमानुसार औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (4) उक्त निर्माण कार्य नियमानुसार निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाये तथा नियमानुसार विशिष्टियों/आनकों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- (5) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी प्रकार की वित्तीय अनियमिता स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होगी।
- (6) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें तथा शिक्षा विभाग उक्त निर्धारित मानकों का भी पालन किया जाय।

- (7) रवीकृत आगणन के अनुसार कार्य प्रारम्भ करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2017 का नियमनुसार अनुबालन भी सुनिश्चित किया जाए।
- (8) विभागाध्यक्ष / सक्षम स्तर कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित अनुबन्धित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-12-2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एमओयू अवश्य हस्ताक्षित किया जाये। वर्णित कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही लागत से अधिक धनराशि किसी भी दशा में अनुमत्य नहीं होगी।
03. उक्त से सम्बन्धित व्यय बदलू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत उन्नदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखांशीष्टक-42C2 रिपो खेलकूद तथा संस्कृति पर छूटीगत परिवेश, 01-रागान्य शिक्षा, 201-प्रारम्भिक शिक्षा, 03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, 24-वृहद् निर्माण कार्य के अन्तर्गत वृहत् निर्माण के नामे डाला जायेगा।
- 04- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय रै0-195(भ) / XXVII(3) / 2017-18 दिनांक 9-3-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डॉ० भूपिन्द्र कौर औलख)
सचिव

सं0 (1) 2017 / xxiv(1) 115 / 2017 तददिनांक

- प्रतिलिपि निन्नलेखिता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
 02. महालेखाकार(आडिट), गहालेखाकार कार्यालय, लैमट ऐलेस, सी-1 / 105 इन्द्रानगर, देहरादून।
 03. जिलाधिकारी, उत्तारकाशी
 04. मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
 05. बजट राजकोषोंय नियोजन एवं साराध्यन निदेशालय, देहरादून।
 06. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 / नियोजन अनुभाग, उत्तारखण्ड शासन।
 07. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, त्तचेवालय परित्तर देहरादून।
 08. वित्त अनुभाग-3
 09. गार्ड फ्राइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

डॉ० मूर्पिन्दर कौर औलख

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,

ननूरखेड़ा, देहरादून।

वैसिक शिक्षा (निवसीजित) अनुभाग

विषय: राजकीय प्राथमिक विद्यालय बजीना में सुरक्षा दीवार की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उम्मीदवाल विषयक अपने पत्रांक-देशिक-नियोजन (4-3)/30200/एजट (139-2) /2017-18 दिनांक 03 मार्च 2018 के अनुकम से मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्यय में बहुत निर्माण कार्य हेतु अनुदान सं०-11, पूर्जीगत के अन्तर्गत प्राविधिक निवासीजित रुपये चार करोड़ मात्र) धनराशि में से राजकीय प्राथमिक विद्यालय बजीना में सुरक्षा दीवार हेतु द्वितीय किरत के रूप में ₹ 4,32000.00 (रुपये चार लाख इक्षीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवलन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतेकन्धों के अधीन अय किये जाने की श्री राज्यवाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) कार्य पर नदवार उतना ही व्यय किया जाये जितने सदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदमपि न किए जाय।
- (2) कार्य करने रो पूर्व गान्धस्त औपचारिकतागे तकनीकी दृष्टि को मध्यनगर रखते हुए एवं दिसाग छात्रा प्रतिलिप दरी/टेलिफ़ोनों को शान में रखने हुए निर्माण कार्य को समाप्ति करना सुनिश्चित करें।
- (3) निर्माण सान्तगी को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा डिशिटियों के अनुरूप सामग्री ही इयोग नैं लायी जाये।
- (4) विस्तृत अनुग्रह में प्राविधिक निवासीजित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित शार्दूलायी संख्या पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगी।
- (5) स्वीकृत विस्तृत अनुग्रह के प्राविधिकानों एवं तकनीकी स्वीकृति कम अनुग्रह के प्राविधिकानों में परिवर्तन (केवल अपरिहर्य स्थिति ली दरा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।
- (6) मुख्य सायेव, उत्तराखण्ड शासन के शारानादेश तंख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कर्जाई से गत्तन करने का लक्ष्य करें।
- 03 उक्त रो सम्बन्धित व्यय बालू दितीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं०-11 पूर्जीगत के अन्तर्गत लेख शीर्षक-4202 शिक्षा खेतकूद तथा रांकूते पर पूर्जीगत परिव्यव ०१-सामान्य शिक्षा २०१-प्रारम्भिक शिक्षा, ०३-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं झुदृढीकरण, २४-बहुद
- 04- निर्माण कार्य के अन्तर्गत उठत निर्माण के नामे लाल जायेगा। यह आदेश पितृ विभाग के अनुसार जारी किया जा रहा है।

मवदीमा,

(डॉ० मूर्पिन्दर कौर औलख)
सचिव

सं० (१) / xxiv / 2016-35 / 2016 तददिनैक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु देइतः-
- 01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
 - 02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-१ / 105 इन्द्रानगर, देहरादून।
 - 03. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
 - 05. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
 - 06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं राराधन निदेशालय, देहरादून।
 - 07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-३ / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राष्ट्रीयवालय परिसर देहरादून।
 - 09. वित्त अनुभाग-५
 - 10. गार्ड फाइल।

आङ्गा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

२६६७
२८-३-१४

सौ ३५० /xxi v /2018-घो०स०१८४४ /2015

प्रेषक,

कौ० आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक: २६ मार्च, 2018

विषय: मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्या-1844/2015 के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-बेसिक-गियोजन (4-3)/25796/बजर (139)/2017-18 दिनांक 23 फरवरी, 2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि (इ) प्राथमिक विद्यालय का वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में बहुत निर्माण कार्य हेतु अनुदान से०-११, पूर्जीगत के अन्तर्गत प्राप्तिधानित ₹40000 हजार (रुपये चार करोड़ नाम्न) धनराशि में से ना० मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद अल्मोड़ा में की गयी घोषणा संख्या-1844/2015 राजकीय प्रथमिक विद्यालय गुजरानगढ़ी ताङीखेत भवन निर्माण हेतु मैं से अवशेष धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुजरानगढ़ी लाङीखेत भजन निर्गण हेतु द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 26.07 (रुपये छब्बीस लाख लात हजार भात्र) की धनराशि आपके निवेदन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय लिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कायं एवं मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी नदवार धनराशि रवीकृत की गयी है। रवीकृत धनराशि से अधिक व्यय लदाने न किए जाय।

(2) कायं करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को नव्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/पैसेशिल्डों को व्यापार में रखने द्वारा निर्माण कार्य को सम्पादित करन सुनिश्चित करें।

(3) निर्माण सामग्री को उपयोग नैं लाने से पूर्व जामटी का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा दिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुसूच सामग्री हो प्रयोग में लायी जाए।

(4) विरहूत अगाजन में प्रतिधानित डेजाइन एवं सामग्री हेतु सच्चिदत कर्यालय संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) रवीकृत आगाजन के प्रतिधानों एवं लकड़ीकी रवीकृति कम आगाजन के प्रतिधानों ने विद्युत- (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने रो पूर्व स्कूल अधिकारी की सहनति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

(6) मुख्य लायिक उत्तराखण्ड राजन के शासनदेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05. 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का काट करें।

03. उपर ने सच्चिदत व्यय लायु वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान से०-११ पूर्जीगत के अन्तर्गत लेखाशीष्क-4202 रिका खेलकूद तथा स्कूलति पर दूसरीगत परियोग, 01-सामान्य शिक्षा, 201-प्रारम्भिक शिक्षा, 03-प्रारम्भिक विद्यालयों का निकाल एवं सुदृढ़ीकरण, 24-वृहप् निर्मा कार्य के अन्तर्गत बहुत निर्माण के नमे डाला जायेगा।

04- यह आदेश वित्त विभाग के शा० ६१० /XXVII(J)/2017-18 दिनांक ८ तै निर्गत प्रारम्भिक निर्गत किये जा रहे हैं।

३०५१/२०१७

(कौ० आलोक शेखर तिवारी)

अपर सचिव

सं० (१) / xxiv / 2018-घोस० / 2015 तददिन॑क।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
- 01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहाइनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
 - 02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-१ / 106 इन्द्रानगर, देहरादून।
 - 03. मूख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
 - 05. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
 - 06. बजट राजकेषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
 - 07. वित्त (व्यय_नियंत्रण) अनुभाग-३ / नियोजन अनुभाग, उत्ताराखण्ड शासन।
 - 08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिस्तर देहरादून।
 - 09. वित्त अनुभाग-५
 - 10. गार्ड काइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

266
१२०९
२४/३/१२

सं० ३५८ / वि.व / २०१८-यो०स०१८४४/२०१६

प्रेषक,

कौआलोक शेखर तिवारी.

अपर संचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में:

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,

भनुरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

विषय: राजकीय प्राथमिक विद्यालय लखनी विकास खण्ड, गरुड़ बागेश्वर एवं राजकीय सच्च प्राथमिक विद्यालय जखेल विकासखण्ड कीर्तिनगर हेतु वृहद मरम्मत कार्य की द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोद

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रां-बेसिक-नियोजन (4/3)/30919/बजट (139-2) / 2017-18 | दिनांक 17 मार्च 2018 एवं 31225/बजट (139-2) / 2017-18 दिनांक 20 मार्च, 2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि द्वितीय वर्ष 2017-18 में प्रारम्भिक शिक्षा के लाय-व्ययक में बहुत निर्णापा कार्य हेतु अनुदान ₹०-११, पूजीगढ़ के अन्तर्गत प्रादेशानित ₹४०००० हजार (रुपये चार करोड़ मात्र) धनराशि ने से राजकीय प्राथमिक विद्यालय लखनी विकास खण्ड गरुड़ हेतु द्वितीय किस्त ले रु५ ने ₹ 2,56,400.00 (रुपये दो लाख छठन हजार चार सौ नाश) एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जखेल विकासखण्ड कीर्तिनगर के भुहद मरम्मत कार्य हेतु द्वितीय किस्त ₹ 2,40,000.00 (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि अपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न इतरों एवं प्रतिक्रियों के अधीन व्यय किये जाने की ओर राज्यपाल चार्ड प्रौद्योगिकी प्रदान करते हैं—

(1) कार्य पर नदगार उत्ता है व्यय किया जाये हितनी मदवार धनराशि द्वीकृत की गयी है; स्पष्ट धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किए जाय

(2) कार्य करने से पूर्व राम रत्न औपचारिकतावें तकनीकी दृष्टि को स्पष्टनहर रखते हुए एवं प्रिभाग हारा प्रबलित दरों/दिविशिक्षियों को ध्यान में रखने हुए निर्माण कार्य को सम्पन्न किया जाये।

(3) निर्माण लाम्हों को उपर्योग ने उन्हें से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लेया जाये इथा दिविशिक्षियों के अनुरूप सामग्री ही लाई जाये।

(4) विवृत अवगति में प्रादेशिक डिविशन एवं ग्राम्यों हेतु सम्बन्धित कार्योंकी स्थिता पूर्ण रूप से सत्तारदायी होये।

(5) द्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति कम आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल आपरिहार्य स्थिति ली दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम उधिकारी की सहनिः अनेकार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

(6) मुख्य संचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2017/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 इथा निर्वत झावेश्वरों का कडाई से पालन अव्वे कर लेये।

03. उक्त से सम्बन्धित ५५ वालू वित्तीय इय 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान ₹०-११, पूजीगढ़ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202 दिक्षा खेलकूद तथा इस्कृति पर पूजीगढ़ परिव्यय, ०१-शान्त्य शिक्षा, 201-प्रारम्भिक शिक्षा, 03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृश्यलक्षण, 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत वृहत निर्णापा के नामे जला जायेगा।

०४— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या ६१०/xxvii(1)/२०१६ दिनांक ३० जून, २०१७ में वर्णित प्राविधान के अनुसार जारी किया जा रहा है।

मेरा भवदीय,
24.3.2018

(कौ० आलोक शेखर तिवारी)

अपर सचिव

सं० (१) / xxiv / २०१८—घो० सं० / २०१५ तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
०१. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
 ०२. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-१/१०५ इन्द्रानगर, देहरादून।
 ०३. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर/टिहरी।
 ०५. जिलाधिकारी, बागेश्वर/टिहरी।
 ०६. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
 ०७. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-३/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 ०८. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
 ०९. वित्त अनुभाग-५
 १०. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

२६६९
२०१३।२०१४

सौ ३७। /xxi v /2018-17 /2018

प्रेषक,

डॉ० भूषिन्दर कौर औलख,
लविव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में:

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, सलाखण्ड
ननूरखेड़ा देहरादून।

बोलिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक: २७ मार्च, २०१८
दिव्य: जनपद अल्मोड़ा विकास खण्ड औलादेवी के चम्प्राधिकारी एवं सठ्ठ०प्राधिकारी के नरन्तर^१
हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महीदय,

जपर्युज पिंपक अग्ने विकासक नेत्रिका-निवाल (१-३)/२६७९६/बजट (१३) / २०१७-१८
दिनांक २३ फरवरी, २०१८ के अनुक्रम में मुझे यह एहते कि इंद्रें हुआ है कि वित्तीय वर्ष २०१७-१८
में प्रारम्भिक शिक्षा के आद्य-व्ययक में बहुत गिराव लाये हेतु अनुदान रो०-१। दूसरीले के अन्तर्गत
प्राविधिक रूपमें ४००००० रुपये चार लाख गढ़) धनराशि में से जनाद अन्मोड़ के
राप्राधिकारी, विकास खण्ड औलादेवी हेतु अंगाद, धनराशि २७.८४ लाख एवं राप्राधिकारी धीन
विकास खण्ड, औलादेवी ऊपुर ८५.४८ लाख अर्थात् कुल धनराशि ₹१२.०२८।७७ (रुपये बारह लाख
ते छाँव नाम) की धनराशि आनके निर्वाचन पर रखते हुए मिन्ह इसी एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय
किये जाने वाली श्री राज्यपाल रामराम की कृति प्रदान करते हैं।

- (१) कार्य पर गदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदबार धनराशि रवैकर की गयी है। रवैकर धनराशि से आधिक व्यय कदापि न केर जाव।
- (२) कार्ट करने से दूर्व रास्त औन्नारेकाये उल्लेखी दृष्टि को ४५८-नाम रक्ति हुए रवै दिनांग
द्वारा प्रयोलेह दरै/ दिस्ट्रिक्टों के दृष्टि में रखने हुए निति कार्ट को समर्पित करना सुनिश्चित
करें।
- (३) निमंप सम्बन्धी को उपयोग ने लाने हे यूद जामी का नरोक्षण प्रयोगशाला से अद्यत करा
लिया जाये तथ दिलिघियों के अनुरूप रानको हे प्रयोग में लाये जाये।
- (४) विरहुत अग्नेत मे प्राविधिक निवाल नून दाजों हेतु रान्नान्नका कार्यदानो रक्ता यून करा
ते जह रुप हो दें।
- (५) स्टेशन विरहुत अग्नेत के लाइकानो १० तक्कोर्टी रवैकरि का अनुदान के प्रविलानो मे
परिवर्तन (जेवल ३-रेहाय लिपि की दशा हो ही) करने से यूद रक्षम उपकारी ने सहनते अनेक
रुप से प्राप्त कर लो जावे।
- (६) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड राज्य के शासनादेश संख्या-२०४७/XIV-२१९(२००६) दिनांक
३०.०५.२००६ द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन करो ज कष्ट तरे।
०२. उल्ल से सम्बन्धित व्यय वालू वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के अन्तर्गत अनुदान ₹० १। यूजीनी के
अर्द्धत रेतालीर्क-४२०२ गिरा छलजूद रथा भज्जासे जर यूजीनी वरियाद, ०१-नामान्य शिक्षा,
२०-प्रारम्भिक शिक्षा, ३३-प्रारम्भिक विद्यालयो ज विकास रवै रुद्राक्षरन, २४-दृष्टि दिस्ट्रिक्ट कर्व के
अन्तर्गत बहुत गिराव के नामे वाला जावे।
- ०३- यह आदेश वित्त विभाग के अद्वारा २४२/XXV(१३)/२०१७-१८ दिनांक २१-३-२०१९ ने
प्राप्त रन्की सहमति से निर्गत किये जाने रहे हैं।

भवदेवा।

(डॉ० भूषिन्दर कौर औलख)
सचिव।

3262

३०/३/१७

पत्र संखा ३५३/अ.मु.स./नि.स./वि.शि./२०१७

प्रेषक,

डॉ. रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
नायमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड।

विद्यालयी शिक्षा विभाग

उत्तराखण्ड प्रशिक्षित

प्र० ३०/३/२०१७
ग्रन्थालय, अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड।

प्र० ३०/३/२०१७

देहरादून: दिनांक ३०/३ मार्च, २०१७

भीलोटी ल.

महोदय,

प्र० ३०/३/२०१७

आप अवगत हैं कि अनुदान प्राप्त उत्तराखण्ड विद्यालयों में नियुक्ति। संबंधी चयन प्रक्रिया
प्र० ३०/३/२०१७ में शासन के आदेश राखा। 1921/XXIV-4/2017 दिनांक 04.01.2017 द्वारा राशोधन किया
गया है। किन्तु संज्ञान में लाला गया है कि भूख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा संशोधित विनियोग के
आधार वर्त नियुक्तियों न करते हुए पुरानी प्रक्रिया को ही अपनाया जा रहा है, जो कि उचित
नहीं है।

उत्तराखण्ड विद्यालयी नियुक्ति के लिए असारकीय विद्यालयों में नियुक्तियों से
चाल्लाखित बल रही प्रक्रिया को रक्काल इमाब रो. सेक दिय जाय व इसकी सूचना श. सन को
प्रेषित की जाय। इसके राथ ही दिनांक १ लान्वर्स से अधितन अवधि में की गई नियुक्तियों का
विवरण भी प्रस्तुत किया जाय। इन आदेशों का कड़ाई से अनुगालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

प्र० ३०/३/२०१७

(डॉ. रणबीर सिंह)

अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कोटवाही हेतु प्रेषित।

१. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

२. रागता मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(डॉ. रणबीर सिंह)

अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषकः

निदेशकः
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

कृपया
Rajendra Kermani
Aluf
11/04/17
D.T.

रोवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 06(4)/87/ 46606-09 /2016-17 दिनांक 05 मार्च, 2017

गिषयः— अनुदान प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्ति सम्बन्धी चयन प्रक्रिया में तत्काल प्रभाव से रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदयः

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-३५३/जमुआ/निस./वि.शि./2017 दिनांक 29.03.2017 का रान्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्ति सम्बन्धी चयन चल रही चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोके जाने के निर्देश हुए हैं।

रूच्य है कि अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति सम्बन्धी चयन प्रक्रिया में शासन की अनिसूचना संख्या-1921/XXIV-4/2017-1(1)/2016 दिनांक 04.01.2017 द्वारा विनियम रांशेधन किया गया है। यिन्तु राज्ञान में आया है कि रांशोधित विनियम के अधार पर नियुक्तियाँ न करते हुए पुरानी प्रक्रिया को अन्वया जा रही है, जो कि उचित नहीं है।

अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्तियों से साब्धित चल रही चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से शासन द्वारा रोक लगा दी गयी है। अनपद रत्न पर दिनांक 01 जनवरी 2017 से अक्षता। अधिक तक ली गई नियुक्तियों का विवरण तत्काल निदेशालय को सफलता कराना सुनिश्चित करे, ताकि स्मरणात्मक शासन को उन्न सूचना से अवगत कराया जा सके।

आता उनका शानदेशानुसार तत्काल नियमानुसार अपेतार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए संस्ता अधीनरथ अधिकारी एवं अशासकीय मान्यता/सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को भी तदुसरे अवगत करना। सुनिश्चित करे।

संलग्नक-शासनादेश की प्रति।

स्वदीय

(आरक्षेन्द्र कुमार)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कृपया
प्रतीक्षिति: 06(4)/87/ 46606-09 /2016-17 दिनांक-उत्तराखण्ड

प्रतीक्षिति: निमाकेत को सूचनार्थ पूछ आवश्यक कहा ही छेतु सूचनार्थ प्रेषित।

1 अपर मुख्य सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, नगरखेड़ा, देहरादून।

3 भण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल जैनीताल।

(आरक्षेन्द्र कुमार)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

11/04/2018

प्रेषक,

संख्या २६५ XXIV / (1) / 2017-02 / 2015

प्रदीप जोशी
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रदीप जोशी
उत्तराखण्ड शासन।

प्र
म् ८

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
गंगारखेला, देहरादून।

वैसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक: २८ मार्च, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में टोकन अनुदान में सम्मिलित किये गये विद्यालयों को टोकन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपने पत्र संख्या अर्थ 2/29923/5 क(02)/2017-18/ दिनांक 03 मार्च, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में टोकन अनुदान में सम्मिलित किये गये विद्यालयों को टोकन अनुदान दिये जाने सम्बन्धित है।

2— इस सम्बन्ध में नुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में टोकन अनुदान में सम्मिलित किये गये विद्यालयों को शासनादेश संख्या 52/XXIV-4/2017-10(66)/2015 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के पैरा-2 के 1 (1) में आवर्तक सहायता टोकन अनुदान में चयनित जूनियर हाई स्कूल स्तर पर प्रति छात्र ₹ 1000/- प्रति वर्ष अथवा अधिकत रु 1,00,000/- प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, के अनुरार प्रोत्साहन राशि प्रति विद्यालय को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में टोकन के रूप निम्नानुसार दिये जाने अनुमति प्रदान की जाती हैः—

क्र० सं०	विद्यालय / जनपद का नाम	शासनादेश संख्या	टोकन अनुदान की राशि
1	विवेकानन्द शिक्षा निकेतन जू०हा०स्कूल रुड़की, जनपद हरिहार।	शासनादेश संख्या 156(1)/14 / XXIV -4-6 (15) / 2014 दिनांक 28-03-2014	₹ 1.00 लाख
2.	द्रोण जू०हा०स्कूल, डोईवाला, जनपद देहरादून।	शासनादेश संख्या 168(1)/ XXIV -4 / दिनांक 04-03-2014	₹ 1.00 लाख
3	मनवता उ०प्रा०वि० गांधीनगर बिन्दूखता लालकुआं नैनीताल (जूनियर स्तर)	शासनादेश संख्या 67 / XXIV -4 / 2014 दिनांक 04-02-2014	₹ 88.00 हजार
		कुल योग	₹ 288.00 हजार

02— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 102—आराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07—विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू०हा० एवं के०जी०/नर्सरी विद्यालय 02—सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों एवं के०जी०/नर्सरी विद्यालय के अधीन मानक भद्र —43 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

03— यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० सं० 262 (म०) / XXVII(3)/2018 दिनांक 28 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीप
(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव,

सं० (i) /xxiv(1) /2017–25 /2007 टी०सी० तदिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), गहालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-१ / 105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाभिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून / हरिद्वार / नैनीताल।
04. जिलाधिकारी, देहरादून / हरिद्वार / नैनीताल उत्तराखण्ड।
05. जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून हरिद्वार / नैनीताल उत्तराखण्ड।
06. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
07. विवेकानन्द शिक्षा निकेतन जूहारकूल रुड़की हरिद्वार।
- 08— द्रोण जूहारकूलडॉईवाला देहरादून।
- 09— जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय चित्रकूट तिवारीनगर बिन्दुखत्ता नैनीताल।
- 10— मानवता उप्राधिविभाग गांधीनगर बिन्दुखत्ता, लालकुआ, नैनीताल।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)

संयुक्त सचिव।

प्रेषक:

मनीष पंकार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिकृत,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुमान-2

विषय- रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/2014 में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का विधायक निधि योजनान्तर्गत व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2023/XI/17/56(21)2007 TCI दिनांक 05.12.2017 द्वारा निर्णत विधायक निधि मार्गनिर्देशिका के बिन्दु 9.1 में निन्नानुसार व्यवस्था की गयी है।

9.1 रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/14 में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में फर्नीचर हेतु एक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की धनराशि तथा स्वच्छ भारत निशन के दृष्टिगत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा। यदि एक विधान सभा क्षेत्र में समस्त विद्यालय फर्नीचर से संतुष्ट हो जाय तो उस धनराशि को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

शासन के उक्त आदेश के उक्त बिन्दु को निन्नानुसार संशोधित करने का मुझे निर्देश हुआ है:-

9.1 रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/14 में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल, जल शोधक यंत्र (Water Purifier), फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड तथा साधारण/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Lab Equipment हेतु एक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की धनराशि एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management), सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले के निर्माण हेतु 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अपना Solid and liquid waste management plan बनाना अनिवार्य होगा। यदि एक विधान सभा क्षेत्र में जनस्त विद्यालयों में उक्त आधारभूत अवस्थापना सुविधाये संतुष्ट हो जाय हो उस धनराशि को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

उक्त 10% की धनराशि का उपयोग केवल शासकीय विद्यालयों में ही किया जायेगा।

उक्त शासनादेश संख्या 2023/XI/17/56(21)2007 TCI दिनांक 05.12.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष शर्त यथावत रहेंगी।

मवदीया,

(मनीष पंकार)
प्रमुख सचिव

संख्या: १७६/ख/१८/५५(२) २००८ CCL तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निर्वाचनिकाल को सूचनार्थ एवं अधिकारक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. महालेखाकार, ए० शृणु ई०, महालेखाकार भवन, कौलगढ़, देहरादून।
२. निजी सचिव, माठ मुख्यमंत्री जी/माठ मान्य विकास मंत्री जी।
३. नाठ सदस्य, विधानसभा, उत्तराखण्ड द्वारा अनुयत, ग्राम्य विकास।
४. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
५. सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
६. समस्त विधायिकाली/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. निदेशक, एनडआईसी०, सचिवालय परिसर।
८. गाड़ी काइज़।

आज्ञा से,

(डॉ राम विजयनगरादव)

अमर सचिव

२

~~5101~~
01/08/2018

उत्तराखण्ड शासन

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

संख्या ६९० / XXIV(1) / न०स०अन० / १४९ / २०१७ T.C.II

देहरादून: दिनांक ३० जुलाई, २०१८

कार्यालय—झाप

प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000-01 से तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वर्ष 2009-10 से भारत सरकार के पलैगशिप कार्यक्रम के रूप में संचालित हैं। वर्तमान में दोनों कार्यक्रमों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में व्ययभार बहन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या D.O. No.2-16/2017-BB-3 दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के द्वारा उक्त दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत करायी जा रही गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, संसाधनों के सुनियोजित उपयोग एवं व्यय भार को कम करने के दृष्टिगत राज्य एवं जनपद स्तर पर दोनों सोसायटी के एकीकरण किये जाने हेतु सावधान कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् को यथावत् रखते हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का इसमें विलय किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान के संचालन हेतु गठित सोसायटी) की नियमावली के बिन्दु-4 (Objects) के अनुसार माध्यमिक स्तर पर संचालित होने वाले केन्द्र सहायतित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा तथा बिन्दु-5 (Functions) में भी माध्यमिक स्तर पर संचालित क्रियाकलापों को समाहित किया जायेगा।

अतएव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् में एतद्वारा विलय किया जाता है।

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या ६७० (१) / XXIV(१) / न०सु०अनु० / १४९ / २०१७, तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

आह्वा से

(दिनेश चन्द्र जोशी)
उप सचिव

संख्या: 1333 / 280 राज्योऽआ० (I.R.I. M.O.U.) / 2018

प्रेषक

प्रभारी सचिव,
नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेष्ठ,

- (1) रामस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
- (2) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

राज्य योजना आयोग।

देहरादून: दिनांक: 27 सितम्बर, 2018

विषय: निर्माण कार्यों की सामग्री परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में एमोऽओयू।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराया जाना है कि नियोजन विभाग द्वारा राज्य में किये जा रहे निर्माण कार्यों के संबंध में नियोजन विभाग के अंतर्गत राज्य योजना आयोग एवं सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की (उत्तराखण्ड) के मध्य M.O.U. दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को किया जा चुका है।

2— इस संबंध में यदि आपके विभाग में कोई निर्माण कार्य हो तो उक्तानुसार तत्संबंधी निर्माण कार्य का तृतीय पक्ष से सामग्री परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी कार्य कराया जा सकता है। उक्त M.O.U. राज्य योजना आयोग की Website: spc.uk.gov.in में Upload कर दी गई है।

सचिव, वन / उ० विभा०
अ. स. अ. प०/आ०. /अस्थावरण्ड

भवदीय,

(डॉ रंजीत कुमार सिंह)
प्रभारी सचिव।

7.10.1A
v21
9-9-18

20 - 9 - 2018

~~1281~~
2011-2018

संख्या ८०७ / XXIV(1) / न०सु०अनु० / १४ / २००९

प्रेषणक

डॉ. शुभेन्दु कोर सेलिय
सचिव
सत्रायण रामन

सेवा में

**निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड, दहरादून**

बैसिक शिक्षा (नवसुचित) अनुभाग

विषयः— राज्य साक्षरता निशन प्राधिकरण कार्यालय को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में।

महाद्यु

उपर्युक्त विषयक अपर्ने पंचाक-विधि(08) / 13034 / राजसमिति(73) / 2018-19
 दिनांक 19 सितम्बर 2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण में कार्यालय स्थाई कार्यालय/आधिकरी को उनके मूल विभाग में भेजने हेतु निर्णय लेने व राज्य साक्षरता कार्यालय के पारा जो भौतिक संसाधन हैं उन्हें विभाग को हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में नुडो यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण में जो भी स्थायी कार्मिक/अधिकारी कार्यरत हैं उन्हें उनपर मूल विभाग गैंगापास करते हुए राज्य साक्षरता मिशन कार्यालय के पास जो भौतिक संसाधन हैं उन्हें विभाग को हस्तान्तरित करना चाहिए।

भावदीय

(डॉ० भूपिन्द्र कौर औलख) सचिव

2169
21/01/2018

उत्तराखण्ड शासन
 वैसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग
 संख्या [62/xxiv(1)/न०स०अनु०/14/2009]
 देहरादून दिनांक 25 जनवरी, 2018

प्री टूटे
 कृष्ण बहुल
 मा.
 S.A.O.

कार्यालय ज्ञाप

राज्य के छ जनपदों यथा बागेश्वर, चम्पावत, हरिद्वार, टिहरी, ऊधमसिंह नगर एवं उत्तराखण्ड में संचालित "साक्षर भास्त्र कार्यक्रम" केन्द्र प्रौद्योगिक योजना की अवधि भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक विस्तारित की गई है। अतः भारत सरकार से मानदेय भुगतान हेतु धनराशि प्राप्त न होने के कारण शिक्षा प्रेरकों को माह जून, 2016 से सितम्बर, 2017 तक 16 माह का बकाया भुगतान तथा पुनः विस्तारित अवधि माह अक्टूबर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक के मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। शिक्षा प्रेरकों को माह सितम्बर, 2017 तक का बकाया मानदेय भुगतान की धनराशि ₹16.49 करोड़ है। शिक्षा प्रेरकों द्वारा निरन्तर मानदेय भुगतान का अनुरोध किया जा रहा है परन्तु राज्य सरकार उक्त योजना के व्ययमार को वहन करने की स्थिति में नहीं है।

2— अतएव उक्ताभ्युक्त भारत सरकार के सहयोग से राज्य में संचालित उक्त "साक्षर भारत कार्यक्रम" योजना को दिनांक 01-01-2018 से समाप्त किया जाता है।

(डॉ० भूषिन्द्र कौर औलख)

सचिव

संख्या [62-(1)/xxiv/न०स०अनु०/14/2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित है कि माह दिसम्बर, 2017 तक के प्रेरक मानदेय भुगतान अर्जेत ब्याज की धनराशि से किये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।
- 2— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3— राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 4— परियोजना प्रबन्धक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, मयूर विहार, देहरादून।
- 5— गार्ड फाईल।

आज्ञा रो,

(डॉ० भूषिन्द्र कौर औलख
रचिव